जेपीआर 5– 694

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302008
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – c_comml@yahoo.com

क्र0जेपीडी / अधी.अ / वा. / अधिअभि (वा– I) / एफ.4(392)जेपीआर / प्रे0 437 दिनांक –04/03/2013

आदेश

विषय – विद्युत अधिनियम–2003 में निहित प्रावधानानुसार प्रशमन राशि (Compounding charges) एवं वैधानिक दायित्व (Civil Liability) के लिए ली जाने वाली राशि की गणना कर नोटिस जारी करने का प्रपत्र (Format)

विद्युत अधिनियम–2003 की धारा–135 के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में वैधानिक दायित्व (Civil Liability) एवं प्रशमन राशि (Compounding charges) लिये जाने के संदर्भ में आदेश क्र0 जेपीआर 5–691 के तहत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

इसी क्रम में विद्युत चोरी में पाये गये व्यक्तियों को उनके द्वारा वैधानिक दायित्व एवं प्रशमन राशि निर्धारित अवधि में जमा करवाने हेतु दिये जाने वाले नोटिस का प्रारूप पूर्व में आदेश क्र0 जेपीआर 5–428 एवं आदेश क्र0 जेपीआर 5–441 के तहत निर्धारित किया गया था, जिसका संशोधित प्रारूप अनुलग्नक "अ" अनुसार पुनः निर्धारित किया गया है।

उक्त आदेश पूर्व में जारी आदेश क्र0 जेपीआर 5–428 एवं आदेश क्र0 जेपीआर 5–441 को निष्प्रभावी (Supersede) करते हुए जारी किया जाता है।

आज्ञा से,

04.03.13

(आर0 पी0 अग्रवाल)
अधीक्षण अभियन्ता(वाणिज्य)

D/joshi/JPR-

अनुलग्नक–''अ''
जेपीआर 5– 695

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय जांच अधिकारी

क्र0जेपीडी / / /एफ. /प्रे0 दिनांक

नोटिस

प्रेषित,

श्री ———————— पुत्र श्री ———————— ग्राम ———————— तहसील /जिला ———————— पुलिस थाना ——— उपभोक्ता खाता सं0 ————/गैर उपभोक्ता वी.सी.आर. नं. ———— दिनांक ———— श्रेणी ———————— सम्बद्ध भार ———— स्वीकृत भार ———— जांच अधिकारी ——— अभियन्ता————, ज.वि.वि.नि.लि. ————————।

आपके ———————— स्थित कृषि/घरेलू/औद्योगिक/व्यावसायिक परिसर में ———— को सतर्कता जांच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत विद्युत की चोरी करना पाया गया है जो कि कानूनन अपराध है।

विद्युत चोरी का विवरण सतर्कता जांच प्रतिवेदन संख्या ———— दिनांक ———— जो मौके पर तैयार किया गया है, संलग्न प्रतिलिपि में दिया गया है।

आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अंतर्गत, प्रथम अपराध के लिए प्रशमन का प्रावधान है, आप चाहें तो उक्त अपराध का प्रशमन कराने के लिए रू0 ———— प्रशमन राशि (Compounding charges) एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अन्तर्गत रू0 ———— अनन्तिम (प्रोविजनल) सिविल लाइबिलिटी की राशि सात दिवस के भीतर सहायक अभियन्ता( ), ज.वि.वि.नि.लि. ———— के कार्यालय में जमा करवायें अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न –

जांच अधिकारी
(सतर्कता अधिकारी)

प्रतिलिपि :–

1. सहायक अभियन्ता ( ), जयपुर डिस्कॉम, ————।

जांच अधिकारी

D/joshi/JPR-